राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 12335/2012

बाघ सिंह परिहार और अन्य ---याचिकाकर्ता।

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य-----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री प्रमेंद्र बोहरा।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री पी. आर. सिंह के साथ श्री हिम्मत सिंह।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

16/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने संविदात्मक कर्मचारियों को मासिक भुगतान के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.08.2009 के संशोधन (अनुबंध 5) का लाभ उसे नहीं दिया, जबकि वह इसका हकदार था।

2. याचिका में यह दावा किया गया है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार, 6500-10,500 रुपये के वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारियों को 5,000 रुपये प्रति माह के बजाय 6,500 रुपये की बढ़ी हुई मासिक संविदात्मक राशि प्राप्त होगी।

3. तैयार संदर्भ के लिए, उपरोक्त संशोधन दिनांक 28.09.2009 (अनुलग्नक 5) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"राजस्थान सरकार

कार्मिक विभाग

(ए-II)

सं. एफ. 17 (10) डी. ओ. पी./ए-II/94 जयपुर दिनांक 28.08.2009

इस विभाग के अधिक्रमण में संशोधन सम समसंख्यक दिनांकित 29.08.2008 शर्त सं. (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

(5) सेवानिवृत्त संविदात्मक नियुक्तियों के लिए समेकित परिलब्धि निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगीः-

वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी

क्रमांक	आरसीएस (आरपीएस) नियम, 1998 में वेतनमान	आरसीएस (आरपी)नियम, 2008 में पे बैंड+ग्रेड पे	संविदात्मक प्रति माह राशि (रुपये में)
1	2550-3200	4750-7440+GP 1300	
2	2610-3540	4750-7440+GP 1400	
3	2650-4000	4750-7440+GP 1650	2700
4	2750-4400	5200-20200+GP 1800	
5	2950-4475	5200-20200+GP 1800	
6	3050-4590	5200-20200+GP 1900	
7	3200-4900	5200-20200+GP 2000	

8	3400-5200	5200-20200+GP	2100	
9	4000-6000	5200-20200+GP	2400	3600
9A	4500-7000	5200-20200+GP	2800	
10	5000-8000	9300-34800+GP	3200	
11	5500-9000	9300-34800+GP	3600	4800
12	6500-10500	9300-34800+GP	4200	राज्य सेवाओं के अलावा अन्य के लिए रु. 6500/राज्य सेवाओं के लिए रु. 6750/-
12A	7500-12000	9300-34800+GP	4800	6750
13	8000-13500	9300-34800+GP	5400	9000
13	8000-13500	15600-391000+GP	5400	9000
14	9000-14400	15600-391000+GP	6000	10500
15	10000-15200	15600-391000+GP	6600	12000
16	10650-15850	15600-391000+GP	6800	12500
17	11300-16200	15600-391000+GP	7200	13000
18	12000-16500	15600-391000+GP	7600	14000
19	13500-17500	15600-391000+GP	8200	15000
20	14300-18300	37400-67000+GP	8700	16000
21	16400-20000	37400-67000+GP	8900	17000
22	18400-22400	37400-67000+GP	10000	18000

ध्यान दें: - रुपये 6750/- की संविदात्मक राशि केवल राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए ही स्वीकार्य होगी। वित्त (नियम) विभाग की सहमति से यह मुद्दा उनकी आईडी संख्या 210900245 दिनांक 04.06.2009 के माध्यम से जारी किया गया है।

राज्यपाल के आदेश और नाम द्वारा

एस. डी./-

(बी. के. दोसी)

उप सचिव, सरकार "

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, सिरोही द्वारा लेखाकार के रूप में सेवा करने के लिए अनुबंध के आधार पर 03.03.2009 से 31.03.2012 तक 3 साल की अवधि के लिए काम पर रखा गया था। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना संविदात्मक कार्यकाल पूरा किया, और जब वे अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त संविदात्मक कर्मचारियों को मासिक भुगतान के संबंध में एक संशोधन (उपरोक्त) दिनांक 28.08.2009 (अनुलग्नक 5) जारी किया था।

5. उपरोक्त संशोधन को स्वीकार करते हुए, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक थी; इसलिए, वह उक्त संशोधन का लाभ नहीं उठा सका।

6. मैं उपरोक्त रुख की असंवेदनशीलता के साथ खुद को सहमत करने में असमर्थ हूं;

संशोधन में कहीं भी यह परिकल्पना नहीं की गई है कि यदि कोई संविदा कर्मचारी, जिसे विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह 62 वर्ष से अधिक आयु का है, तो वह उस वेतनमान के अनुसार भुगतान पाने का हकदार नहीं है, जिस पर वह सेवानिवृत्त हुआ था।

7. यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता 6,500-10,500 रुपये के वेतनमान से सेवानिवृत्त हुआ था और उसी के अनुरूप, उसकी मासिक संविदा राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति माह किया जाना आवश्यक था।

8. अदालत के एक प्रश्न पर, यह स्पष्ट होता है कि उक्त बढ़ी हुई राशि का भुगतान याचिकाकर्ता के समकक्ष संविदात्मक कर्मचारियों को किया गया था, जो याचिकाकर्ता के समकक्ष वेतनमान में सेवानिवृत्त हुए थे। इसे ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब उसके द्वारा किए गए काम के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, और उसने अपनी अनुबंध अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया।

9. इस आधार पर, प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे संशोधन दिनांक 28.08.2009 (अनुलग्नक 5) के अनुसार याचिकाकर्ता को देय बकाया की गणना करें और कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से इसे याचिकाकर्ता को भुगतान करें।

10. यह न्यायालय बकाया राशि पर ब्याज देने के लिए इच्छुक था; हालाँकि, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील के गंभीर अनुरोध पर, जो प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को एक विशेष परियोजना के लिए काम पर रखा गया था और उक्त परियोजना ने बाद में अपनी संरचना में पूर्ण परिवर्तन किया, बकाया पर कोई ब्याज निर्देशित नहीं किया जाता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील भी न्याय के व्यापक हित में, अपने बकाया के शीघ्र भुगतान

के लिए सहमत होते हैं। इसलिए, बकाया पर कोई ब्याज निर्देशित नहीं किया जाता है।

11. याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

12. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।